

आज पत्रावली मूल दावा के साथ
 नाम आपके कार कम्प कोसपुरा
 पर पेश हुई। गैर सामान को
 ता फैसला मूल दावा अस्थाई
 निषेधाज्ञा से पावत किया जाता है
 कि वे विक्रित आरजी से वाडी
 (सपल) को बेखल नही करे। ना
 ही कार्त करने से शक। नाही सपल
 की फसल आदि को रुकसान पहुचाने।
 ना ही बिल वाडी के उक्त आरजी
 से मुक्त किल करे। ना ही निर्गत करे।
 पत्रावली फैसल सुकर हो नकर से
 कर की जाकर मूल दावा के साथ निषेध
 रफ्तार से।

उपखण्डाधिकारी
 बाडी (धौलपुर) राज